

प्रस्तावित वन भूमि का नेट प्रजेण्ट वैल्यू (N.P.V) की गणना

जनपद जौनपुर में मुख्य प्रबन्धक, (परियोजना) आईएचबी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा कांडला-गोरखपुर पाइप लाइन (सेक्शन उन्नाव-गोरखपुर) परियोजना हेतु वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग, क्षेत्रफल-0.0023 हे०, औड़िहार-जौनपुर रेलपथ किमी० 16 से 16/1, क्षेत्रफल-0.0034 हे० तथा लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग किमी० 276 से 277 के मध्य 0.0023 हे० कुल प्रस्तावित भूमि $0.0023+0.0034+0.0023 = 0.0080$ हे० संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की गणना (इको क्लास 3 ओपेन फारेस्ट के अनुसार) निम्नानुसार है-

1. प्रभावित संरक्षित भूमि (वास्तविक भूमि) = 0.0080 हे०
2. नेट प्रजेण्ट वैल्यू (N.P.V) की निर्धारित दर = ₹ 9,57,780.00
3. निर्धारित कुल धनराशि $(0.0080 \text{ हे०} \times 9,57,780.00) = ₹ 7662.24$

या- 7663.00


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक न्याय विभाग,
सामाजिक न्याय विभाग
जौनपुर